मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 13-03-2018

प्रति,

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय: वर्ष 2018-19 के लिए प्याज फसल हेतु भावांतर योजना।

मध्यप्रदेश में प्याज उत्पादन में लगातार वृध्दि होने से किसानों को उनके प्याज का उचित मूल्य दिलाने तथा प्याज की Stress sale न हो इस हेतु वर्ष 2018-19 के लिये प्याज फसल को मुख्यमंत्री भावांतर योजना में शामिल कर योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जा रहे हैं जो वर्ष 2018-19 में लागू होंगे:-

1/ भावांतर योजना में किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपना उत्पादन जब दाम बहुत नीचे हों तब न बेचें और उसे प्याज भंडार गृहों में भंडारित करें।

2/ भावांतर लाभ के लिए दो अवधियां मान्य होंगी। प्रथम अवधि 16 मई से 30 जून तक एवं व्दितीय अवधि 01 अगस्त से 31 तक होगी। व्दितीय भावांतर अवधि में भावांतर का लाभ प्याज की भंडारित मात्रा के 75% तक सीमित रहेगा।

3/ प्याज भावांतर योजना के विभिन्न घटक निम्नानुसार होंगे:-

3.1 प्याज का उत्पादन करने वाले सभी किसानों का विभाग व्दारा निर्धारित अवधि में पंजीयन कराया जाएगा। यह पंजीयन रबी के लिए उपार्जित की जाने वाली फसल गेहूं अथवा रबी के लिए भावांतर हेतु चिन्हित फसलें यथा चना, सरसों और मसूर के साथ ही होगा जो सहकारी केन्द्रों के माध्यम से होगा।

3.2 पंजीयन का सत्यापन कार्यक्षेत्र के राजस्व अधिकारियों व्दारा किया जायेगा।

मोडल भाव का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार दो अन्य राज्यों महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के औसत मोडल भाव उक्त अवधि के निकाले जाएंगे। इन तीनों के साधारण औसत के द्वारा योजनांतर्गत भावांतर भाव निर्धारित किया जाएगा।

3.8 प्याज का राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य वर्ष 2018-19 के लिए रूपये 800/- प्रति क्विंटल होगा।

3.9 किसानों व्दारा शासकीय भंडार गृहों में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्याज भंडारित करने पर उनसे कोई भंडारण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अवधि का भंडारण शुल्क रूपये 200/- प्रति टन प्रति माह की दर से राज्य सरकार द्वारा भंडारण एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। किसान को केवल उक्त अवधि के सूखत/सड़न से होने वाली हानि को वहन करना होगा जो अधिकतम 25% होगी। यदि किसान व्दारा केवल अपने प्याज भंडार में या किसी अन्य निजी प्याज भंडार में प्याज भंडारित किया जाता है तो 31 जुलाई को भंडारित मात्रा के लिए उपरोक्त निर्धारित भंडारण दर से चार माह का भंडारण शुल्क उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

3.10 व्दितीय भावांतर अवधि 01 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान यदि पंजीकृत किसान व्दारा पंजीकृत भंडारित मात्रा का विक्रय किया जाता है तो इस विक्रित मात्रा के लिए MSP से कम भावांतर भाव होने पर भावांतर की राशि ऐसे किसान को भुगतान की जाएगी। यह विशिष्ट अनुभव रहा है कि चार माह में प्याज की सूखत और सड़न के कारण 25% का नुकसान होता है। अत: व्दितीय भावांतर अवधि में किसान को इतनी मात्रा के लिए भावांतर हेतु लाभ दिया जाएगा जो उसके कुल उत्पादन की सीमा में रखते हुए भंडारित मात्रा के 75% तक के बराबर हो।

4/ योजना में हितग्राही की अहर्ताएं निम्नानुसार होंगी:-

4.1 मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ संबंधित लाभार्थी का भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर वांछित जानकारी के साथ पंजीयन दर्ज होना अनिवार्य है।

तक अपलोड की जावेगी।

4.12 कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा दैनिक जानकारी का संग्रहण कर पंजीयन के भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कॉलम में अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की सम्बंधित जानकारी किसान के पजीयन क्रमांक अनुसार सत्यापन कर अपलोड कराने का कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।

4.13 सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय की गई प्याज योजना में मान्य नहीं होगी।

4.14 आदिवासी बाहुल्य जिलों में पँजीकृत किसान द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र के ट्रैक्टर का उपयोग 15 कि.मी. दूरी या उससे अधिक दूरी पर परिवहन किए जाने पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की दर पर मण्डी समिति द्वारा परिवहन की राशि का भुगतान किया जावेगा। ऐसे जिलों में जिला प्रशासन द्वारा एकत्रीकरणकर्ता (aggregator) की भूमिका निभाए जाने पर कलेक्टर द्वारा नियत की गई दर पर मण्डी समिति द्वारा परिवहनकर्ता को भुगतान किया जावेगा।

4.15 प्रत्येक अधिसूचित प्रांगण में योजना के पंजीकृत किसान द्वारा प्याज विक्रय पर भावान्तर भुगतान योजना के प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त होने सम्बंधी प्रमाणपत्र किसान को उपलब्ध कराया जावेगा।

4.16 योजनान्तर्गत किसान अधिसूचित फसल को प्रदेश की किसी भी अधिसूचित मण्डी/उपमण्डी/प्रांगण में विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5/ भावान्तर भुगतान योजना में मासान्त उपरान्त आगे अंकित प्रक्रिया अपनाकर किसान के खाते में अंतरित किए जाने का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त किया जावेगा। भावान्तर की राशि का भुगतान पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में ही किया जावेगा। यदि पंजीयन के समय गलत बैंक खाता क्रमांक दर्ज हुआ हो तो बिना कलेक्टर को आवेदन दिए तथा बिना कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त किए परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

6/ प्याज भावांतर योजनान्तर्गत देय राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क- यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई प्याज की विक्रय दर राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो ऐसे किसानों को कोई भावान्तर देय नहीं होगा।

पृ.क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 13-03-2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास/ सहकारिता/खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल
7. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम/मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस कार्पोरेशन/मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड/मध्यप्रदेश सहकारी विपणन संघ, भोपाल
9. संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
10. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान मध्यप्रदेश
11. गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13-3-18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

DD(2)

14 MAR 2018

510

15-3-18